न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 89 / 2019

1– श्रीमति मोहिनी पत्नि श्री बद्री

2– श्री रामेश्वर पुत्र श्री घीसा

दोनों जाति जाट, निवासीगण ग्राम अरांई, तहसील अरांई, जिला अजमेर

.....*अपीलान्ट्स*

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अरांई, जिला अजमेर

.....रेस्पोन्डेन्ट

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक –21.01.2025

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत् 2074 में श्रीमति मोहिनी पत्नि श्री बद्री एवं श्री रामेश्वर पुत्र श्री घीसा, दोनों जाति जाट, निवासीगण ग्राम अरांई, तहसील अरांई, जिला अजमेर ने ग्राम अरांई के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 1516 रकबा 04–00–00 बीघा किस्म चरागाह भूमि पर बाड़ लगाकर कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार अरांई के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्व राजस्व प्रकरण संख्या 146 / 2017 पंजीकृत कर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 04.10.2017 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश अनुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम करने के साथ मौके पर खड़ी फसल को नीलाम करने के आदेश दिये गये। इसके अतिरिक्त उन्हे पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 04.10.2017 व इसकी रूह में पारित सिविल कारावास की सजा का आदेश दिनांक 02.08.2019 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए।मियाद के बिन्दु पर पैरोकार सरकार द्वारा ऐतराज दर्ज नहीं करवाये जाने पर न्याय हित में

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कन्डोन कर अपील गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने का निश्चय किया गया।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट्स ने अपील में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को समुचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही सरसरी तौर पर एकतरफा आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है जो न्याय के सहज व प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत है। पटवारी हल्का ने अपीलान्ट्स के विरूद्ध द्वेषतापूर्वक गलत रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे आधार मानकर आक्षेपित आदेश पारित कर दिया गया। उन्होने आगे कथन किया कि अपीलान्ट्स का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त नहीं है एवं ना ही कभी अतिक्रमण रहा है तथा ना ही भविष्य में पुनः कब्जा करेगा। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र दिनांक 13.07.2019 को पेश कर दिया। इसके बावजूद भी निहित क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर गैर कानूनी रूप से अपीलान्ट संख्या 2 को सिविल कारावास के आदेश से दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर ध्यान नहीं दिया कि दोनों पक्षकारों को एक ही नोटिस जारी किया गया है जबकि कानूनन दोनों को अलग–अलग नोटिस जारी किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश साईक्लोस्टाईल निर्णय है जिसे फिल इन द ब्लेंक्स भरकर निर्णय पारित किया गया है जो कि रेवेन्यू कोर्ट्स मैन्यूअल के तहत निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। वकील अपीलान्ट्स ने अपनी बहस जारी रखते हुए कथन किया कि अपीलान्ट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष मूल अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने सम्बन्धी आदेश दिनांक 07.08.2019 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13.08.2019 से मूल अपील के निस्तारण तक सिविल कारावास की सजा को स्थगित रखे जाने के आदेश दिये गये हैं। अन्त में उन्होने कथन किया कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर आक्षेपीय आदेश दिनांक 04.10.2017 व उसकी रूह में पारित सिविल कारावास की सजा के आदेश दिनांक 02.08.2019 को निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलांट्स द्वारा अनाधिकृत रूप से सिवायचक भूमि पर बाड़ लगाकर अवैध अतिक्रमण किया गया है जो कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है। विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक गै0मु0 चरागाह दर्ज है जिसका आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। अपीलान्ट्स पश्चातवर्ती अतिचारी होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्यायोचित है। अतः अपीलान्ट्स की अपील निरस्त की जाकर आक्षेपीय आदेश दिनांक 04.10.2017 व इसकी रूह में पारित सिविल कारावास की सजा का आदेश दिनांक 02.08.2019 यथावत रखा जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस का ध्यान पूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि अपीलान्ट्स द्वारा विवादित भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अतिक्रमण किया गया है। जिस दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने का कोई न्यायिक आधार मेरे समक्ष नहीं है। अतः दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है। जहां तक 90 दिवस के कारावास की सजा में नरमी का रूख अपनाये जाने का प्रश्न है, अपीलान्ट्स की ओर से इस

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

अपील के साथ कब्जा नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत कर रखा है। अपीलान्ट्स के ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रखते हुए अपीलान्ट्स की ओर से प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में से केवल सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर स्थगित रखा जाता है कि तहसीलदार स्वयं अथवा हल्का पटवारी के मार्फत एक सप्ताह में यह सुनिश्चित कर लेवें कि वादग्रस्त आराजी से अपीलान्ट्स ने अपना कब्जा छोड दिया है तथा उन्होने राज्य हित में उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा अपीलान्ट्स द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड जमा करा दिया है एवं भविष्य में पुनः किसी राजकीय भूमि पर अपीलान्ट्स कब्जा नहीं करेंगे। इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया है, इन सब तथ्यों बाबत तहसीलदार इस प्रकरण से संबंधित पत्रावली में आदेशिका उल्लेखित करने के उपरांत सजा को इस निर्णयानुसार स्थगित रख सकेगा। यदि अपीलान्ट्स द्वारा एक माह में उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं की जाती है अथवा पुनः राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा किया जाता है, तो तहसीलदार इस निर्णय से स्थगित किए गये निर्णय को प्रभावी मानकर अपीलान्ट्स को नियमानुसार सजा भुगतवायेगा तथा अपीलान्ट्स की अपील पूर्ण रूप से खारिज मानी जायेगी एवं सजा यथावत रहेगी।

आदेश आज दिनांक 21.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलेक्टर अजमेर

(ज्योति ककवानी)
अपर कलक्टर
अजमेर

अपर कलक्टर अजमेर